रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 640] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 1971/पौष 7, 1893

No. 640] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 1971/PAUSA 7, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 28th December 1971

S.O. 5587.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 140/18A/IDRA/70, dated the 7th January, 1970, the management of the industrial undertaking known as Sri Ranga Vilas Ginning, Spinning and Weaving Mills Limited, Coimbatore, had been taken over by the Authorised Controller referred to therein for a period of two years upto and inclusive of the 6th January, 1972;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period of two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order mentioned above shall continue to have effect for a further period of two years upto and inclusive of the 6th January, 1974.

[No. F. 11021/177/71-Tex(G).]

B. D. KUMAR, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1971

का० आ० 5587.—यतः भारत सरकार के औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 140/18ए/आई०डी० आर० ए०/70 दिनांक 7 जनवरी, 1970 द्वारा श्री रंग विलास जिनिंग, स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, कोयंबतूर नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उपरिवर्णित आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा 6 जनवरी, 1972 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, ग्रहण कर लिया गया था;

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियंत्रक के पास उक्त उपक्रम का प्रबन्ध दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए और बना रहना चाहिए;

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ए की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उपरिवर्णित आदेश का प्रभाव 6 जनवरी, 1974 तक, दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, और बना रहेगा।

[सं० फा० 11021/177/71 टैक्स (जी)]

बी० डी० कुमार, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1972